न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 46 / 2018

प्रार्थी–

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. गोविन्द पुत्र कानाराम जाति माली निवासी शिव जिला बाड़मेर (मैसर्स गरीबनाथ किराणा स्टोर शिव जिला बाडमेर का मालिक)
2. मदनलाल जैन पुत्र बाबूलाल जैन निवासी रेन बसेरा के पीछे बाड़मेर (मैसर्स कृतिका ट्रेडर्स चौहटन रोड, कीर्ति मोटर्स के पास बाड़मेर का मालिक)
3. जितेन्द्रसिंह फर्म श्री लक्ष्मीनाथ फूड प्रोडक्ट सेन्ट्रल टावर शॉप नंबर 104 फर्स्ट फ्लोर सेन्ट्रल स्पाईन, विधि आधार नगर जयपुर का प्रोपराईटर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री अमृतलाल जैन, अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित।
3. शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 25.08.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स गरीबनाथ किराणा स्टोर शिव जिला बाड़मेर पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:54 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निरीक्षण दिनांक **03.10.2017** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **रिफाइण्ड पॉम ऑयल (एडिबल वेज ऑयल ब्राण्ड मधुश्री 500 एमएल)**, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 500–500 एमएल **रिफाइण्ड पॉम ऑयल (एडिबल वेज ऑयल ब्राण्ड मधुश्री 500 एमएल)** की कुल 4 बोतलें वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–831** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **रिफाइण्ड पॉम ऑयल (एडिबल वेज ऑयल ब्राण्ड मधुश्री 500 एमएल)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **रिफाइण्ड पॉम ऑयल (एडिबल वेज ऑयल ब्राण्ड मधुश्री 500 एमएल)** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 को जवाब हेतु समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद अपने प्रतिरक्षण में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **12.10.2017** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना मिथ्याछाप और अवमानक पाया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं है किया गया है। जिससे माना जाता है कि अप्रार्थीगण की ओर से परिवाद की मौन स्वीकृति है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:54 IST
Reason: SelfAttested

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 पर रूपये 50,000/–, अप्रार्थी संख्या 2 पर रूपये 1,00,000/– तथा अप्रार्थी संख्या 3 पर रूपये 2,50,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:54 IST
Reason: SelfAttested